



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934

No. 498]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि. 735(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. (15) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(16) विदेश मंत्रालय।”

[अधिसूचना सं. 1/2012/फा. सं. पी. 12011/2/2009-एस.ओ.(ई.एस.सेल)]

बिपलब कुमार नसकर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010 और सा.का.नि. 957(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2012

G.S.R. 735(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 66 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006, namely :—

In the said notification, after serial number (15) and the entry relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely :—

“(16) Ministry of External Affairs.”

[Notification No. 1/2012/F. No. P.12011/2/2009-S.O. (E.S. Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th December 2009, G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010 and G.S.R. 957(E), dated the 7th December, 2010.